न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील सख्याः–111/2019(जीसीएमएस नं. 2019/00078)

1. अशोक कुमार कपुत्र चन्दीराम उर्फ चान्दीराम, जाति खत्री निवासी किशनगढबास जिला अलवर।
2. अखिलेश पुत्र चन्दीराम उर्फ चान्दीराम, जाति खत्री निवासी किशनगढबास जिला अलवर।
3. नरेश कुमार पुत्र चन्दीराम उर्फ चान्दीराम, जाति खत्री निवासी किशनगढबास जिला अलवर।
4. विमल कुमार पुत्र चन्दीराम उर्फ चान्दीराम, जाति खत्री निवासी किशनगढबास जिला जयपुर।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. कमललाल पुत्र किशनलाल जाति अहीर, निवासी किशनगढबास जिला अलवर।
2. सुल्तान सिंह पुत्र किशनलाल, जाति अहीर निवासी किशनगढबास, जिला अलवर।
3. अजीतसिंह पुत्र किशनलाल, जाति अहीर निवासी किशनगढबास जिला अलवर।

––रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–
1. श्री विजयसिंह राठौड़, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से
2. श्री विश्वेश गुप्ता एडवोकेट, रेस्पोडेन्ट्स ओर से

निर्णय

दिनांकः 05.12.2022

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तसीलदार किशनगढबास जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.05.2019 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट के बुजुर्गो के कब्जे काश्त की खातेदारी की आलॉटशुदा आराजी खसरा नम्बर 379 रकब 3 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम किशनगढबास में स्थित है जो कि अपीलान्ट के बुजुर्ग त्रिलोकमल पुत्र हरगुनमल द्वारा चान्दीराम जाति खत्री (सिन्धी) निवासी किशनगढबास को किलेमेन्ट की हैसियत से आलॉटमेन्ट अन्य आराजी के साथ–साथ खसरा नम्बर 379 भी अलॉट किया गया था जिसका पट्टा संख्या 2298(80) दिनांक 09.09.1980 को अपीलान्ट के बुजुर्गो को किया गया जिस पट्टे के सन्दर्भ में रेस्पोडेन्ट द्वारा एक अपील संख्या 35/2007 अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर के न्यायालय मे पेश की गई जो अपील दिनांक 20.08.2008 को स्वीकार की जाकर अपीलान्ट के बुजुर्गो के पक्ष में जारी सनद पट्टा संख्या 2298/80 दिनांक 09.09.1980 को संशोधित किया जाकर प्रकरण तहसीलदार कम

P.T.O.

मैनेजिंग ऑफिसर किशनगढ़बास को रिमाण्ड किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण संख्या 1/2008 उनवानी कमलराम बनाम अशोक कुमार दिनांक 23.04.2010 को पेश होने के आदेश दिये गया एवं वर्ष 2010 के पश्चात् रिमाण्ड प्रकरण में दिनांक 26.03.2019 को 9 साल बाद पेशी पर ली गई और बिना किसी जॉच, बिना पक्षकारान के सुने दिनांक 29.05.2019 को नामान्तरकरण संख्या 779 दिनांक 17.12.1993 पर गैर खातेदारी का इन्द्राज करने का आदेश पारित कर दिया गया जो आदेश गलत, खिलाफ मनशाये कानून व वाकेआत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपना निर्णय जल्दबाजी में पारित करते हुये समस्त तथ्य गलत दर्ज करते हुये पारित किया अपीलान्ट के बुजुर्ग के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 778, खसरा नम्बर 493 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा निर्णय दिनांक 17.12.1993 नायब तहसीलदार किशनगढ़बास द्वारा खातेदारी का नामान्तरकरण उप जिलाधीश किशनगढ़बास का निर्णय दिनांक 06.06.1985 की पालना में दर्ज व तस्दीक किया गया था जिस नामान्तरकरण में अधीनस्थ न्यायालय को किसी प्रकार के हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नही थी और ना ही कानूनन हस्तक्षेप किया जा सकता था क्योंकि उक्त खातेदारी का नामान्तरकरण सक्षम न्यायालय के आदेश से दर्ज व तस्दीक किया गया था।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास का निर्णय दिनांक 06.06.1985 की पालना में नामान्तरकरण संख्या 778 दिनांक 17.12.1993 तस्दीक किया गया जिस नामान्तरकरण को आज दिनांक तक किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती नही दी गई है और अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास के निर्णय दिनांक 06.06.1985 के विरूद्ध भी कोई अपील नही की गई है। ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी का निर्णय दिनांक 06.06.1985 व खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 778 दिनांक 17.12.1993 अंतिम है जिस तथ्यों को भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना गौर किये ही मनमाने तरीके पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.05.2019 पारित किया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर प्रथम अलवर के निर्णय दिनांक 20.08.2008 का हवाला देते हुए निर्णय पारित किया है जबकि न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर अलवर के निर्णय में यह कही पर भी आदेश पारित नही किया गया कि नामान्तरकरण संख्या 778 में खातेदारी की प्रविष्टि को बहक अपीलान्ट के बुजुर्गो के नाम है उसके स्थान पर खसरा नम्बर 493 को गैरखातेदारी दर्ज करने के आदेश दिये गये हो लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई गौर नही कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार किशनगढबास जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.05.2019 को निरस्त फरमाया जावें।

P.T.O.

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश नामान्तरकरण के सम्बन्ध में नही होकर अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर के रिमाण्ड आदेश दिनांक 20.08.2008 की पालना में राजस्व रिकार्ड में रिकार्ड की स्थिति को कायम रखने की नीयत से पारित किया गया है क्योंकि अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर द्वारा अपीलान्ट कमललाल की अपील स्वीकार की गई है इसलिये राजस्व रिकार्ड में नोट लगाया जाना कानून की सामान्य प्रक्रिया का एक हिस्सा है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.05.2019 कोई अंतिम निर्णय नही है बल्कि अन्तरिम आदेश है क्योंकि प्रकरण वर्तमान में भी अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार किशनगढबास के समक्ष विचाराधीन है जिसमें अभी अंतिम निर्णय होना शेष है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया जिससे जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी की सनद पट्टा क्रमांक 2298(80) दिनांक 09.09.1980 के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स द्वारा एक अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर के समक्ष पेश की गई है जिसे न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर द्वारा दिनांक 20.08.2008 द्वारा स्वीकार की जाकर सनद क्रमांक 2298(80) दिनांक 09.09.1980 को संशोधित किया जाकर मात्र आराजी खसरा नम्बर 493 रकबा 81 ऐयर जिसके गत खसरा नम्बर 378 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा पर पुनः रेस्पोडेन्ट को सुनकर एवं उसके कब्जे की जॉच कर नियमानुसार निर्णय हेतु रिमाण्ड किया गया है जिसकी पालना कार्यवाही के दौरान अन्तरिम आदेश दिनांक 29.05.2019 द्वारा नामान्तरकरण संख्या 779 को पूर्वानुसार गैरखातेदारी अंकन के आदेश पारित किये गये जिसमें किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार किशनगढबास जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.05.2019 को यथावत रखा जाता है।

(अन्तरसिंह नेहरा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 05.12.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

5/12/22

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।